RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 1043/2023

Rakesh Goyal S/o Babulal Agarwal, Aged About 48 Years, R/o Sector No. 46 House No. 1186, Gurgaon Haryana.

----Petitioner

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Rishi Bansal S/o Bhagwandas Agarwal, R/o Nohara No. 85 Purani Dhanmandi, Sriganganagar.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Umesh Kant Vyas
For Respondent(s) : Mr. S.K. Mehar, PP
Mr. Aakash Kukkar

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Judgment

Reserved on 08/07/2024
Pronounced on 16/07/2024

Reportable

01. याची की ओर से यह याचिका विद्वान अधीनस्थ न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या 01, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 21.09.2022 व जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 24.01.2023 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

02. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा याची के विरूद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत एक परिवाद प्रस्तुत किया, जिसमें प्रसंज्ञान लिया जाकर याची को तलब किया गया। जिसमें विचारण के दौरान याची द्वारा अपने बचाव पक्ष की साक्ष्य की स्टेज पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 व धारा 311 सीआर.पी. सी. के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर विवादित चैक पर अपने हस्ताक्षरों की जांच हस्तलेख विशेषज्ञ से करवाए जाने और हस्तलेख विशेषज्ञ को जांच रिपोर्ट पेश करने व साक्ष्य देने हेतु तलब किए जाने का निवेदन किया जो प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.08.2022 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह आधार लिया गया कि चैक प्रमोद कुमार द्वारा परिवादी के साथ मिलकर चुराए थे। चैक पर याची के हस्ताक्षर नहीं है, जिसका जवाब

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:18:19 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चैक प्रदर्श पी1 याची द्वारा फर्म गोयल ट्रेडिंग कम्पनी के प्रोपराईटर की हैसियत से प्रार्थी को सुपुर्द किया था, प्रार्थी व अभियुक्त आपस में रिश्तेदार है। बैंक में राशि प्राप्त करने हेतु चैक पेश करने पर चैक ''Funds Insufficient'' की टिप्पणी के साथ अनादरित हुआ है। चैक पर हस्ताक्षर अभियुक्त के नहीं होना केवल मात्र अभियुक्त का चैककृत राशि की अदायगी से बचने के लिए सोच समझकर ली गई प्रतिरक्षा है। चैक चोरी के संबंध में 13 वर्षों तक कोई कार्यवाही परिवादी के विरूद्ध याची द्वारा नहीं करना बताते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

Rajasthan High Court सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

03. पक्षकारान की बहस सुनी जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 21.09.2022 के द्वारा याची का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया, जिसके विरूद्ध याची द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई, जो निगरानी जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा धारा 45 साक्ष्य अधिनियम का प्रार्थना–पत्र याची की ओर से पेश किया हुआ मानते हुए दिनांक 24.01.2023 को खारिज की गई, जिस पर यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

04. याची द्वारा अपनी याचिका में यह आधार लिया गया कि याची की ओर से चैक पर अपने हस्ताक्षरों से आरम्भिक स्टेज पर ही नोटिस जब परिवादी द्वारा भेजा गया, उस समय ही इंकार कर दिया गया था। इस प्रकरण के तथ्यों से विवादित चैक पर याची के हस्ताक्षरों की जांच एफ.एस.एल. से करवाई जाना और एफ.एस.एल. रिपोर्ट तलब की जाना मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक है। यह भी निवेदन किया कि फेयर ट्रॉयल याची का अधिकार है, इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर याची के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाए।

05. बहस याचिका सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से दौराने बहस याचिका में वर्णित तथ्यों को तर्कों के रूप में प्रस्तुत करते हुए मेरा ध्यान माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत T. Nagapppa Vs. Y.R. Muralidhar, AIR 2008 SC 2010 व G. Someshwar Rao Vs. Samineni Nageshwar Rao & Anr, AIR 2009 SC (Supp) 2050 की ओर आकर्षित करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि परिवाद प्रस्तुत करने से पूर्व अयाची संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो नोटिस प्रदर्श पी6 दिया गया, जिसके जवाब प्रदर्श पी7 में पैरा संख्या 3 पेज संख्या 2 में यह अंकित किया गया है कि चैक पर फर्जी हस्ताक्षर किए हैं और विचारण के दौरान परिवादी द्वारा बतौर पी.डब्लयू1 जब साक्ष्य दी गई तो जिरह में स्पष्ट रूप से यह सुझाव दिया गया कि साक्षी व प्रमोद कुमार द्वारा अभियुक्त के कार्यालय से खाली, जो हस्ताक्षरित नहीं थे, चुरा लिए और उसका दुरूपयोग साक्षी ने किया हो, जिससे की

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:18:19 PM)

हालांकि गवाह द्वारा इंकार किया गया। इस आधार पर प्रारम्भिक स्टेज पर ही चैक पर हस्ताक्षरों से इंकार किया गया है। ऐसी सूरत में माननीय उच्चतम न्यायालय के दोनों न्यायिक दृष्टांतों को मद्देनजर रखते हुए याची के चैकों की जांच हस्तलेख विशेषज्ञ से करवाए जाने की प्रार्थना की।

06. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय व निगरानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। बैंक द्वारा जब चैक अनादरित किया गया तो वह ''Funds Insufficient'' के आधार पर अनादरित किया गया, चैक पर हस्ताक्षर भिन्न होने के आधार पर चैक अनादरित नहीं हुआ है। इस आधार पर ही चैक की जांच हस्तलेख विशेषज्ञ से करवाने की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में देरी करने के लिए ही यह आवेदन पेश किया गया और याचिका पेश की गई है। इस आधार पर याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया।

07. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। मेरा निष्कर्ष इस प्रकार से हैः—

08. विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय के T. Nagapppa (पूर्वोक्त) के मामले में चैक पर हस्ताक्षर व चैक की हस्तलिपी की समयावधि अंतर की जांच हेतु प्रार्थना की गई थी। चैक पर हस्ताक्षर होना स्वीकृत था। उस मामले में विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा धारा 20 एन.आई.एक्ट के आधार पर हस्ताक्षरों व चैक पर किए गए अन्य लिखित की जांच करने से इंकार कर दिया गया। जिस पर उपरोक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने पूर्व न्यायिक दृष्टांत MRS. KALYANI BASKAR VS MRS. M.S. SAMPOORNAM (2007) 2 एस.सी.सी. 258 के पैरा संख्या 12 का उल्लेख किया, जिसमें धारा 243(2) सीआर.पी. सी. पर विचार करते हुए यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि फेयर ट्रॉयल अभियुक्त का अधिकार है और बचाव के अवसर दिए बिना अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसी विधिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पैरा संख्या 10 में निम्नानुसार विवेचन किया गया और अपील स्वीकार की गईः—

> 10. However, it is not necessary to have any expert opinion on the question other than the following :
>
> "Whether the writings appearing in the said cheque on the front page is written on the same day and time when the said cheque was signed as "T.Nagappa" on the front page as well as on

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:18:19 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

> the reverse, or in other words, whether the age of the writing on Ex.P2 on the front page is the same as that of the signature "T.Nagappa" appearing on the front as well as on the reverse of the Cheque Ex.P2?"

09. विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से प्रस्तुत G. Someshwar Rao (पूर्वोक्त) के मामले में चैक संबंधित बैंक से ''Funds Insufficient'' के रिमार्क के साथ अनादरित होकर प्राप्त हुआ, उस मामले में अपीलार्थी द्वारा प्रोनोट व चैक पर अपने हस्ताक्षर फर्जी होने बताए और विवादित चैक को हस्ताक्षरित करने से इंकार कर दिया गया, उस मामले में हस्तलेख विशेषज्ञ की प्रार्थना अपीलार्थी द्वारा की गई थी। जो प्रार्थना विचारण न्यायालय द्वारा खारिज की गई और उच्च न्यायालय द्वारा भी निगरानी खारिज की गई। जिस पर यह अपील की गई थी, इस मामले में भी धारा 243 सीआर. पी.सी. व माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व के MRS. KALYANI BASKAR (पूर्वोक्त) व T. Nagapppa (पूर्वोक्त) के मामलों पर विचार किया गया और पैरा संख्या 9 में निम्नानुसार उल्लिखित किया गयाः–

> 9. Indisputably, an accused is entitled to a fair trial which is a part of his fundamental right as guaranteed under Article 21 of the Constitution of India. The concept, however, cannot be put to a straight jacket formula. A court of law will have to consider each application filed by an accused praying for comparison of his signature on a disputed document with his admitted signature on its own merits. No hard and fast rule can be laid down therefor.

10. उपरोक्त के अलावा G. Someshwar Rao (पूर्वोक्त) के मामले में पैरा संख्या 12 से 14 में निम्नानुसार उल्लिखित किया गया हैः–

> 12. In this case, the pronote was issued in the year 2002. The cheque was issued in the year 2004. The complaint petition was filed in the year 2004. The complainant examined his witnesses in between the period September 2006 and February 2007. Appellant examined his own witnesses. They had been cross-examined. The learned Magistrate noticed that even the legal notice served upon him was not accepted by the appellant. The court, in the aforementioned situation, held that the gap between execution of two signatures is such where some variance is possible. Rightly or wrongly, his application was dismissed by an order dated 07th April 2007. Immediately thereafter another application was filed on 20th June 2007 which was not maintainable as allowing the same would have amounted to recall of an order passed by the learned

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:18:19 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT

Magistrate himself being impermissible in law. In the latter application only the document which was to be sent for comparison was changed.

13. Evidently, he had filed two successive applications; the second application was, thus, not maintainable. This itself goes to show that he intended to delay the disposal of the matter. He could have examined his own expert. He may still do so for which, we are sure, the court shall grant him reasonable opportunity. Even now, the court will be entitled to exercise its jurisdiction, if it so thinks fit and proper in terms of Section 73 of the Indian Evidence Act.

14. Keeping in view the peculiar facts and circumstances of this case, we are of the opinion that the interest of justice would be subserved if an opportunity is granted to the appellant to examine an expert at his own costs. If he requisitions the services of an expert, the learned Judge would grant him an opportunity to examine the disputed documents, submit a report and examine himself as a witness in the case preferably on the same date. Such a step, however, must be taken by the appellant within six weeks from date.

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

11. उक्त दोनों न्यायिक दृष्टांतों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार अभियुक्त को धारा 243 (2) सीआर.पी.सी. के मुताबिक अपने बचाव का और फेयर ट्रॉयल का पूर्ण अधिकार है और फेयर ट्रॉयल को आर्टीकल 21, Constitution of India के मुताबिक fundamental right होना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है और बैंक से चैक ''Funds Insufficient'' के आधार पर अनादरित होकर आने के बावजूद जब अपीलार्थी द्वारा चैक पर अपने हस्ताक्षरों से इंकार किया गया, उस अवस्था में मामले के तथ्यों परिस्थितियों में अपीलार्थी को स्वयं की कोस्ट पर हस्तलेख विशेषज्ञ से चैक पर हस्ताक्षरों की जांच करवाने की अनुमति दी गई।

12. उक्त विधिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हस्तगत मामले पर विचार किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय व निगरानी न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से बैंक से चैक ''Funds Insufficient'' के आधार पर अनादरित होकर आने और चैक पर हस्ताक्षर मिलान नहीं खाने के आधार पर चैक अनादरित नहीं होने के आधार पर ही अपने आदेश पारित किए गए हैं, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के G. Someshwar Rao (पूर्वोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार न्यायोचित नहीं है।

13. जब याची आरम्भ से ही चैक पर अपने हस्ताक्षरों से इंकार करता है, उस अवस्था में विचारण न्यायालय को चैक के हस्ताक्षरों की जांच हस्तलेख विशेषज्ञ से

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:18:19 PM)

करवाने की अनुमति अभियुक्त को देनी चाहिए, चाहे चैक बैंक से केवल मात्र ''Funds Insufficient'' के आधार पर अनादरित होकर प्राप्त हुआ हो।

14. हस्तगत मामले में याची के द्वारा परिवाद पेश करने से पूर्व अयाची संख्या 2 के अधिवक्ता श्री गुरमेश धींगड़ा की ओर से दिए गए नोटिस प्रदर्श पी6 का जवाब अपने अधिवक्ता श्री के.के. विनायक की ओर से दिनांक 22.10.2009 को प्रदर्श पी7 भिजवाया गया, जिसमें पैरा संख्या 3 के शुरू में ही 4 चैक चोरी करने का उल्लेख किया गया है। चार चैक उनके ऑफिस गोयल ट्रेडिंग कम्पनी, यू–34, कृष्णा पैलेस, गुडगांव से चोरी करने का उल्लेख किया गया है और यह भी स्पष्ट किया है कि जून के अंत में अपना ऑफिस उनके मुवक्किल द्वारा बंद किया गया, उस दौरान चैक ले जाना और खाली चैक को forged & fabricated instrument के रूप में तैयार करना और नोटिस प्राप्त होने पर उनके मुवक्किल को चैक चोरी होने की जानकारी होना, उल्लिखित किया गया है और यह भी स्पष्ट रूप से पैरा संख्या 3 के अंत में अकिंत किया गया है कि ''Since you had been watching my above client signing over the cheques, hence you have succeeded in doing/forging the signature of my above client by your regular practice. Hence, Getting of any loan of Rs. 5,00,000/- from you is like a matter of joke & fun & fabricated, false & concocted., So question of any promise to return the same through cheque or otherwise, as alleged in your notice is a result of your shrewd mind story & nothing else.'' इस नोटिस में यह भी अंकित किया गया था कि उनका मुवक्किल 406, 420, 467, 168, 471, 379/34 IPC etc. की एफ. आई.आर. दर्ज करवाएगा।

15. उपरोक्त के अलावा आरोप सारांश की स्टेज पर भी स्वयं का चैक चोरी हो जाने का उल्लेख याची की ओर से किया गया और पी.डब्ल्यू 01 ऋषि बंसल अयाची संख्या 2 के बयान के समय जिरह में यह स्पष्ट सुझाव दिया गया कि साक्षी और प्रमोद के द्वारा अभियुक्त के कार्यालय से खाली जो हस्ताक्षरित नहीं थे, चुरा लिये और उसका दुरूपयोग साक्षी ने किया हो, जिससे हालांकि गवाह द्वारा इंकार किया गया। जिरह में यह भी सुझाव दिया गया कि चैक प्रदर्श पी1 पर ए से बी हस्ताक्षर अभियुक्त के न हो, जिससे भी गवाह द्वारा इंकार किया गया और यह भी सुझाव दिया गया कि उक्त परिवाद साक्षी ने चैक का दुरूपयोग कर कूटरचित तैयार कर परिवाद प्रस्तुत किया हो, जिससे भी गवाह द्वारा इंकार किया गया है।

16. याची ने डी.डब्ल्यू 06 के रूप में जो साक्ष्य दी, उसमें भी प्रदर्श पी1 चैक ऋषि बंसल ने चैक का उपयोग किया, इसका पता तब लगा जब साक्षी के पास नोटिस आया, स्वयं के कार्यालय से चार चैक चोरी होना गवाह ने बताया और यह भी बताया

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:18:19 PM)

कि दो गोयल ट्रेडिंग कम्पनी, दो जीज्ञासा फाईनेंस, ऋषि बंसल व प्रमोद ने जारी किए थे, जिनका दुरूपयोग किया। हस्तगत चैक प्रदर्श पी1 ऋषि बंसल ने कार्यालय से चोरी किया था, जिस पर ए से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है, साक्षी ने कोई राशि ऋषि बंसल से उधार नहीं ली और ना ही उसे कोई हस्तगत चैक दिया और ना ही कोई राशि साक्षी को ऋषि बंसल को अदा करनी है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

17. इस प्रकार स्पष्ट रूप से बचाव पक्ष में अपनी साक्ष्य भी चैक हस्ताक्षर कर देने से इंकार किया है। ऐसी अवस्था में इस मामले के तथ्यों परिस्थतियों में लगातार शुरू से ही याची चैक पर हस्ताक्षरों से इंकार करता रहा है, उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए याची की प्रार्थना विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार करनी चाहिए थी और याची के महत्वपूर्ण बचाव का उपयोग करने की अनुमति याची को देनी चाहिए थी ताकि फेयर ट्रायल याची के साथ हो सके। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय व विद्वान निगरानी न्यायालय द्वारा इस मामले में इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि आरम्भ से ही याची अपने हस्ताक्षरों से इंकार करता आ रहा है केवल बैंक द्वारा चैक ''Funds Insufficient'' के आधार पर अनादरित किए जाने को ही यह मान लिया गया कि चैक याची द्वारा जारी किया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है।

18. हस्तगत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में याची द्वारा अयाची संख्या 2 के विरूद्ध धारा 467, 468, 471 IPC etc का मामला दर्ज नहीं करवाने मात्र से याची को बचाव में हस्तलेख विशेषज्ञ से जांच करवाने से इंकार नहीं किया जा सकता।

19. पूर्व में किए गए विवेचन से हस्तगत मामले में धारा 482 सीआर.पी.सी. के अधिकारों का प्रयोग किया जाना मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाने योग्य है और याची को स्वयं के खर्चे से हस्तलेख विशेषज्ञ को तलब करवाकर चैक के बारे में जांच स्वीकृत हस्ताक्षरों से करवाने की अनुमति प्रदान की जाना न्यायोचित है।

20. अतः याची की याचिका स्वीकार की जाती है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या 01, श्रीगंगानगर के आक्षेपित आदेश दिनांक 21.09.2022 व जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के आक्षेपित आदेश दिनांक 24.01.2023 निरस्त किए जाते हैं और याची का प्रार्थना–पत्र दिनांकित 16.08.2022 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि याची अपने खर्चे से हस्तलेख विशेषज्ञ को न्यायालय में तलब करवाये और हस्तलेख विशेषज्ञ न्यायालय की पत्रावली से न्यायालय के लिपिक की मौजूदगी में चैक के फोटोग्राफ्स लेवे व चैक की तिथि के समकक्ष या पूर्व के अन्य कोई स्वीकृत हस्ताक्षरों से तथा धीमी गति, मध्यम गति व तेज गति से अपने नमूना हस्ताक्षरों से मिलान हस्तलेख विशेषज्ञ से करवाकर रिपोर्ट

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:18:19 PM)

न्यायालय में पेश करें। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय इस संबंध में समुचित व्यवस्था करे ताकि याची को अपनी बचाव पेश करने का पर्याप्त अवसर मिल सके। अधीनस्थ न्यायालय में आईन्दा मुकर्रर पेशी पर इस संबंध में याची उपस्थित होकर आदेश की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत कर हस्तलेख विशेषज्ञ का नाम बताकर हस्तलेख विशेषज्ञ को तलब करावें।

21. तद्नुसार याचिका व याचिका के साथ स्थगन प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

7-mayank/-

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:18:19 PM)